

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री दिनेशचन्द्र

विपक्षी : सहायक अधिशाषी अभियन्ता

किस्म मुकदमा – 188 रा.का.अ.

पत्रावली संख्या : 24/15

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्श्व तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 06.01.2021</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित। प्रकरण में पूर्व में वादी अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी से मना किया। वादी को सूचना पत्र जारी किये गये। सूचना पत्र सही पते के अभाव में अदम तामील प्राप्त हुए हैं। सही पता नहीं होने से वादी को नोटिस तामील कराया जाना सम्भव नहीं हैं। वादी की यह जिम्मेदारी की है कि वह न्यायालय में अपने प्रकरण की प्रभावी पैरवी करें एवं वाद के साथ अपना सही पता पेश करें। चूंकि वादी के अधिवक्ता ने हिदायत पैरवी से इन्कार किया हैं। इससे स्पष्ट है कि वादी के अधिवक्ता ने हिदायत पैरवी से पूर्व वादी को इसकी सूचना दी होगी। अतः वादी के अनुपस्थित रहने पर व पैरवी नहीं करने से उक्त वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

